कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट:www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49/16/02/2022-रा.भा.(ई-28915)

दिनांक: 09 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : <u>अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/ टंककों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता।</u>

महोदय/महोदया,

हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/ टंककों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अधीन हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियाँ/ प्रारूप/ प्रपत्र/ पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियाँ/ प्रारूप/ प्रपत्र/ पत्र प्रति तिमाही टंकित करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/ टंककों को क्रमश: 240/- रु. तथा 160/- रु. भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और इस राशि पर महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

वह योजना, जिसके अंतर्गत हिंदी आशुलिपिक/ टंकण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं, जारी रहेंगी। परंतु जब इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने लगेगा, तब से अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

जो अंग्रेजी आशुलिपिक/ टंकक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, वे दोनों भाषाओं में कार्य शुरू करने से प्रारम्भिक 6 महीनों के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रतिमाह, उसके पश्चात प्रत्येक 3 माह में एक बार अपने कार्यालय की राजभाषा शाखा में भेजें।

अनुरोध किया जाता है कि इसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालित कर इसका व्यापक प्रचार करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 09-04-2025
13:16:43

(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक : अपेक्षित प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रतिलिपि :

1. सभी शाखाएं, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

09.4.2025

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

हिंदी प्रोत्साहन भत्ता पाने के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र

'यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/

कुमारी..........................पदनाम..............................

शाखा..............................ने...................................से ....तक की अवधि में

अपने काम

का कुछ भाग हिंदी आशुलिपि /टंकण में किया। हिंदी में किए गए काम की मात्रा, उपर्युक्त मास में

औसतन 5

टिप्पणियों /प्रारूप/पत्र प्रतिदिन या उपर्युक्त तिमाही में लगभग 300 टिप्पणियों/प्रारूप/पत्र से कम नहीं

थी ।

संबंधित नियंत्रण अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर